23.7.24

पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप०। वादी वकील ने वादी संख्या १क के वादी वकील ने वादी संख्या १क के साथ उपस्थित होकर जरिये प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अनवान प्रकरण को वाद श्रीमान न्यायालय हाजा मे कार्यवाही वाद श्रीमान न्यायालय हाजा मे पेश किया जिसमें स्वामीनिर्भ बीहारी को पेश किया जिसमें वादी सोनाराम पुत्र मंगलाराम की दिनांक 7.7.23 को मृत्यु हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है वादी तारा चन्द उक्त अनवान प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है वादी तारा चन्द उक्त अनवान प्रकरण का वाद जरिये विड्रोल खारिज करवाना चाहता है इसलिए उक्त अनवान प्रकरण की पत्रावली आज ही तलब कर उक्त अनवान वाद जरिये विड्रोल खारिज फरमावे। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 6 (क) सपठित धारा 151 CPC का पेश कर निवेदन किया कि हम प्रतिवादी सं. 06 के वारिसान है उक्त प्रकरण मे हम प्रतिवादी द्वारा दिनांक 24.06.24 को अपना जवाब दावा मय काउन्टर वाद प्रस्तुत कर रखा है वादी तारा चंद द्वारा दिनांक 02.07.24 को उक्त अनवान प्रकरण विड्रो करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है

FORM No. 123
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

Court of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
उक्त प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा प्रस्तुत कर रखा है इसलिए उक्त अन्तर्गत वाद में प्रतिदावे की कार्यवाही की जावे जिससे प्रतिवादी को न्याय मिल सके। हमने उभयपक्ष को सुना पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी सं. 06 स्वयं ने दिनांक 12.04.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश कर वादी का बंटवारा करने हेतु सहमति जाहिर की। जिस पर वकील उभयपक्ष की सहमति पर दिनांक 22.09.2022 को हस्ब- हस्बे अनुसार बंटवारा प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार पीपाड़शहर को पालना हेतु लिखा गया जिस पर तहसीलदार पीपाड़ शहर ने पत्रांक भू.अ/2024/851 दिनांक 15.4.24 द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया जो शामिल मिसल है। उसके बाद प्रतिवादी सं. 06 फौत हो गये उनके वारिसान आज दिनांक तक रेकर्ड पर नहीं है ना वकील वादी ने प्रतिवादी सं. 06 के वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने बाबत कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय के पेश किया इस बिन्दु पर दावा Abet हो चुका है। प्रतिवादी सं.	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of co... of the Or...
	6 के वारिसान ने दिनांक 24.06.2024 को जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया जो पत्रावली पर नहीं है न ही प्रति नं. 06 के वारिसान रेकर्ड पर है। दिनांक 02.07.24 को वादी नं. 01 ने स्वयं उप० होकर वादी नं. 02 की फौत होने पर पत्रावली नत्थी कर पत्रावली जरिये विड्रो खारिज किये जाने का निवेदन किया है। चूंकि वादी नं. 02 फौत होने पर कोई वारिसान रेकर्ड पर नहीं है न ही प्रतिवादी नं. 06 के वारिसान रेकर्ड पर है जबकि वादी नं. 02 व प्रति नं. 06 दोनों फौत हो चुके हैं। वादी नं. 01 वाद आगे चलाना नहीं चाहता अतः पत्रावली पोषणीय नहीं होने पर, दावा Abet होने तथा वादी स्वयं द्वारा withdraw के आवेदन के मद्देनजर प्रतिवादी नं. 06 के कायममुकाम जो हस्तगत प्रकरण के पक्षकार के रूप में संयोजित ही नहीं है का प्रार्थना पत्र व काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाकर वादी नं. 01 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली जरिये withdraw इसी स्तर पर खारिज की जाती है।	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 23 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)	